





<p>केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान संभागीय कार्यालय, कोलकाता ई.बी.ब्लॉक, सेंटर- 1, लाबोनी, साल्टलेक, कोलकाता- 700064</p> <p> </p>	<p> एवं एवं एवं एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन </p>	<p>KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt .of India Regional Office, Kolkata, EB Block, Sector-I, Laboni, Salt Lake, Kolkata-700064 Ph : 033 23372577(DC) / 23219490 (ACs) Email : kvskolkata64@gmail.com, acadrokolkata@gmail.com Web: https://rokolkata.kvs.gov.in/</p>
--	---	---

फा 25011/81/2021/केवीएस(कोल)/46961-47024

दिनांक: 12.02.2025
मेल 14

प्राचार्य,
समस्त केन्द्रीय विद्यालय,
कोलकाता संभाग ।

विषय: सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) अनुसार संबन्धित आवश्यकता कारवाई हेतु ।


संदर्भ: फा 11011/01/2017-KVS(HQ)/Admn.II/159-188 दिनांक 22.01.2025

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में केवीएस(मु.) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 22.01.2025 की प्रति आपको सूचना एवं उचित कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है । आपसे अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल एवं कोलकाता स्थित ए. एम. ए. की जानकारी OFFICE OF THE SECRETARY, CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WELFARE CO-ORDINATION COMMITTEE, KOLKATA के निम्नलिखित वैबसाइट पर उपलब्ध है ।

- (i) www.itgoawbunit.org
- (ii) www.itf Bengalcircle.org

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त वैबसाइट की जानकारी अपने विद्यालय के वैबसाइट पर अवश्य दे एवं आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) का अनुपालन सुनिश्चित करे ।


भवदीय
(एस एल दीपकर)

प्रशासनिक अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी

Am...
12/2/25